आवश्यक

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.2(458)स्था. / पमु. / 2018 / दिनाक : 15/3/18

–:: कार्यालय आदेश ::–

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–2018 के लिये विभाग को आंवटित राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति एवं वसूली संबंधी कार्य हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त जयपुर, समस्त उप महानिरीक्षक एवं समस्त पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालय **माह मार्च–2018** के सभी राजकीय अवकाशो में कार्य दिवस के रूप में खोले जायेंगें।

उप महानिरीक्षकगण इस अवधि में चालू व पूरानी वसूली का अभियान चला कर अधिकाधिक वसूली कर मुख्यालय अजमेर को सूचित करे। इस अवधि में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी का अवकाश मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति बिना स्वीकार नहीं किया जायेगा

Sd/-

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.2(458) / स्था. / पमु. / 2018 / 1489- 1686. दिनांक : 15/3/18

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार, लेखापरीक्षा–II, राजस्थान–जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक जयपुर, राजस्थान।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार / वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाना सुनिश्चित करावे।
8. संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को भेजकर लेख है कि इस संबंध में स्थानीय स्तर से अखबारों के माध्यम से प्रेस नोट जारी कर आमजनता को अवकाश के दिनो में कार्यालय खुले होने की जानकारी उपलब्ध करावें।
10. समस्त पूर्णकालीन उप पंजीयक।
11. सुश्री रेखा रावत, रीजनल मैनेजर, स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, संगम टॉवर, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अवकाश काल में अपने ई–स्टाम्प काउन्टर्स को खोलना सुनिश्चित करे।
12. निजी सचिव, महानिरीक्षक / शीघ्रलिपिक, अतिरिक्त महानिरीक्षक मुख्यालय अजमेर।
13. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय अजमेर।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर